राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कविता गोदारा आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 36/2022

निर्णय दिनांक : 13.09.2023

किशना वगै0 बनाम जलेसिंह वगै0

1. किशना पुत्र नन्दाराम (दौराने दावा मृतक)
   1/1 मु. रामप्यारी पत्नी किशनाराम
   1/2 भागोती पुत्री किशनाराम
   1/3 श्रीमती कंचन पत्नी स्व. मनीराम
   1/4 उज्जवल पुत्र स्व. मनीराम
   1/5 सचिन भैड़ा पुत्र स्व. मनीराम
   1/6 उष्मा कुमारी पुत्री स्व. मनीराम
2. हरफुल पुत्र नन्दाराम (दौराने दावा मृतक)
   2/1 कौशल्या पत्नी हरफूल
   2/2 प्रितम पुत्र हरफूल
   2/3 सुनिता पुत्री हरफूल
3. महेन्द्र पुत्र नन्दाराम
   समस्त जातिगण जाट निवासी भैड़ा की ढाणी तहसील व जिला झुंझुनूं
4. रणवीर पुत्र ध्यानसिंह जाति जाट निवासी भैड़ा की ढाणी तहसील व जिला झुंझुनूं
5. बजरंगलाल पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी भैड़ा की ढाणी तहसील व जिला झुंझुनूं
6. संतोषदेवी पुत्र नन्दाराम पत्नी रामवतार जाति जाट निवासी बहादुरवास तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं

——— वादीगण

बनाम

1. जलेसिंह पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी भैड़ा की ढाणी तहसील व जिला झुंझुनूं
2. विमला पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी भैड़ा की ढाणी तहसील व जिला झुंझुनूं
3. अनिता पुत्री अमरसिंह स्त्री इन्द्राजसिंह जाति जाट निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं
4. मन्जू पुत्री अमरसिंह स्त्री महिपाल निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं
5. उम्मेद पुत्र स्व. डुंगाराम जाति जाट निवासी भैड़ा की ढाणी तहसील व जिला झुंझुनूं
6. रामसिह पुत्र स्व. डुंगाराम जाति जाट निवासी भैड़ा की ढाणी तहसील व जिला झुंझुनूं
7. लोकेश पुत्र स्व. डुंगाराम जाति जाट निवासी भैड़ा की ढाणी तहसील व जिला झुंझुनूं
8. मृतका बनारसी देवी पुत्री डुंगाराम स्त्री ईश्वर जाति जाट हाल निवासी समसपुर तहसील व जिला झुंझुनूं
9. विद्या पुत्री डुंगाराम स्त्री गिरधारी जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं
10. इन्द्रा पुत्री डुंगाराम स्त्री रतनसिंह जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुंझुनूं
11. सुमन पुत्री डुंगाराम स्त्री रणजीत जाति जाट निवासी हंसासरी तहसील व जिला झुंझुनूं
12. कमला देवी स्त्री महावीर जाति जाट निवासी भैड़ा की ढाणी तहसील व जिला झुंझुनूं
13. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार झुंझुनूं
14. ऑरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबंधक

——— प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत विभाजन</u>

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। वादीगण की ओर से एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम भैड़ां की ढाणी उत्तरी पटवार हल्का पुरोहिता की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में आराजी

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

खेत हाल खसरा नम्बर 302/43 रकबा 0.0790 है0 व खसरा नं. 303/43 रकबा 0.7920 है0 स्थित है, जिसका पूर्व में खातेदार पिथाराम था। पिथाराम का देहान्त हो जाने पर उसके तीन पुत्र नन्दाराम, मोटाराम व डूंगाराम का व उनकी स्त्रियों का भी देहान्त हो चुका है। उक्त नन्दाराम के तीन पुत्र किशनाराम, हरफूल, महेन्द्र व एक पुत्री संतोष पैदा हुए। ये चारों नन्दाराम के उत्तराधिकारी के रूप में अपने अपने 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त हैं। मोटाराम के दो पुत्र ध्यानसिंह व बजरंगलाल हुए। ध्यानसिंह व उसकी स्त्री का देहान्त हो चुका है। उक्त ध्यानसिंह के दो संतान रणवीर सिंह व उम्मेद पैदा हुए। मोटाराम के देहान्त के बाद सब अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हुए। उम्मेद सिंह ने माननीय न्यायालय की डिक्री से अपना खाता विभाजन अलग करवा लिया जिसके पृथक खसरा नं. 301/43 हो गये। वर्तमान में रणवीर सिंह अपने 1/12 हिस्से पर व बजरंगलाल अपने 1/6 हिस्से पर काबिज काश्त है। इस प्रकार डूंगाराम के वारिसान उसके पुत्र अमर सिंह के देहान्त के बाद प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 हैं जो डूंगाराम के 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त हैं।

वादी संख्या 4 रणवीर का वर्णित भूमि में पश्चिमी दिशा में कब्जा काश्त है तथा शेष वादीगण व प्रतिवादीगण का पूर्वी हिस्से पर कब्जा काश्त है। जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को काश्त के अनुसार विभाजन कराने को कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया। इसी कारण यह वाद कारण सावित हुआ। अतः काश्त के अनुसार खाता विभाजन कर दिया जावे।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 27.03.2023 को वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा अपने पत्र क्रमांकः भू0अ0/2023/1476 दिनांक 25.07.2023 के द्वारा इस न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये। विभाजन प्रस्ताव शामिल मिसल किये गये। वकील वादी के निवेदन पर आज बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश श्योराण ने निवेदन किया कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किया जाये। अधिवक्ता वादी ने पत्रावली में संलग्न शपथ पत्र व जबाब में पेश की गई प्रतिवादीगण के ईकबालिया जबाब का भी हवाला दिया। अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया कि मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार किया गया है। बहस वकील वादीगण पर बगौर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

—: निर्णय :—

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि ग्राम भैड़ां की ढाणी उत्तरी पटवार हल्का पुरोहिता की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में आराजी खेत हाल खसरा नम्बर 302/43 रकबा 0.0790 है0 व खसरा नं. 303/43 रकबा 0.7920 है0 का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पत्र क्रमांकः भू0अ0/2023/1476 दिनांक 25.07.2023 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

कविता

(कविता गोदारा)

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी

झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदायी (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती कविता गोदारा आर.ए.एस.

उनवान :— रामेश्वर बनाम लादू वगै0

मुकदमा नं. :— 36/2022 दावा बाबत घोषणार्थ

निर्णय दिनांक : 13.09.2023

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश श्योराण की उपरिथिति में इस वाद में आज दिनांक 13.09.2023 को श्रीमती कविता गोदारा उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम भैड़ां की ढाणी उत्तरी पटवार हल्का पुरोहिता की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में आराजी खेत हाल खसरा नम्बर 302/43 रकवा 0.0790 है0 व खसरा नं. 303/43 रकबा 0.7920 है0 का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पत्र क्रमांकः भू0अ0/2023/1476 दिनांक 25.07.2023 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	4 46	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	46
योग	50	योग	46

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner